FORM NO – 111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

प्रार्थी/परिवादी	**बनाम**	**प्रतिवादी/अभियुक्त**
श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधि. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधि. सिरोही		प्रभाराम देवासी पुत्र श्री हीरा राम जाति–देवासी, निवासी–उड, तहसील–सिरोही (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक) फर्म:- चौदरा माता डेयरी, बरली चौराहा, बरली, तहसील व जिला- सिरोही

किस्म मुकदमा – धारा 26(2)(ii) एवं 51
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 **प्रकरण संख्या 44/2020**

तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए
16.12.2020	श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii) एवं 51 के तहत प्रतिवादी अभियुक्त प्रभाराम देवासी के विरुद्ध आज दिनांक 16.12.2020 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 5.4.2012 के द्वारा जिलें में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है। अतः प्रस्तुत न्याय निर्णय आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रकरण में प्रतिवादी प्रभाराम देवासी पुत्र हीरा राम, जाति– देवासी, निवासी– उड, तहसील व जिला– सिरोही, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, चौदरा माता डेयरी, बरली चौराहा, बरली, तहसील व जिला– सिरोही इस न्यायालय में आज दिनांक 16.12.2020 को स्वयं उपस्थित हुआ। प्रतिवादी प्रभाराम देवासी को नोटिस पढ़कर सुनाया गया एवं न्याय निर्णय आवेदन पत्र की एक प्रति दिलवाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी प्रभाराम देवासी ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 08.7.2020 को जिस दूध का सेम्पल जांच हेतु लिया था वह मेरी डेयरी चोदरा माता, बरली चौराहा, बरली से [illegible] जो जांच रिपोर्ट के अनुसार सब स्टेण्डर्ड पाया गया है जबकि डेयरी में गांव के पशुपालकों का दूध लिया जाता है। मैनें दूध में से क्रीम नही निकाली है जैसा दूध आता है वैसा ही बेचता हूँ। मैं एक छोटा सा दुकानदार हूँ मेरी डेयरी में 100–150 लीटर दूध आता है उसी को मैं बेचता हैं, इसलिये मुझ इस प्रकरण से मुक्त करावे। ......लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.01.10 16:49:00 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही

तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामीलमें जारी हुए

प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा उक्तानुसार जवाब प्रस्तुत कर लिया जाने से प्रकरण में दोनों पक्षों की आज ही बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी ने अमानक दूध का विक्रय किया है, इसलिये प्रतिवादी पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना किया जावे। जबकि प्रतिवादी ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु दिनांक 08.7.2020 को समय 5.15 पी.एम. पर फर्म चौदरा माता डेयरी, बरली चौराहा, बरली, सिरोही पर पॅहुचा। वहां पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता के हैसियत से प्रतिवादी प्रभाराम देवासी उपस्थित मिला, जो आम जन को मिक्स्ड मिल्क बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त डेयरी के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ मिक्स्ड मिल्क के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए उक्त डेयरी में चिल्लिंग टैंक में बिक्री हेतु मौजूद लगभग 100 लीटर मिक्स्ड मिल्क में से 2 लीटर मिक्स्ड मिल्क को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए उक्त खाद्य पदार्थ मिक्स्ड मिल्क के नमूना संख्या S-1128 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./267/Act/2020/267 दिनांक 17.7.2020 के अनुसार अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी प्रभाराम देवासी द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ मिक्स्ड मिल्क का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05 [illegible] 12 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत [illegible] देवासी पुत्र श्री हीरा राम, जाति– देवासी, निवासी– [illegible] तहसील व जिला– सिरोही, मालिक एवं खाद्य कारोब[illegible]र्ता,

.......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.01.10 16:49:09 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.44/2020	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए
	चौदरा माता डेयरी, बरली चौराहा, बरली, तहसील व जिला– सिरोही पर राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, उक्त प्रतिवादी प्रभाराम देवासी को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 06.1.2021 को पेश हो। 16/12/2020 (गितेश श्री मालवीया) **अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट** **सिरोही** Signature Not Verified Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya Date: 2021.01.10 16:49:09 IST Reason: SelfAttested	